यह निरीक्षण प्रतिवेदन बाल वकास परियोजना अ धकारी, हल्द्वानी (ग्रामीण) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय बाल वकास परियोजना अ धकारी, हल्द्वानी (ग्रामीण) के माह **04/2015** से **12/2017** तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री वजय कुमार, वरि0ले0प0, श्री एस॰एस॰ राणा एवं, श्री र व शंकर सहायक लेखा परीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक **19.01.2018** से **24.01.2018** तक श्री एस0के0 जौहरी, लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **04/2015** से **12/2017** तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2 (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः ...आगंबाड़ी केन्द्रो के माध्यम से लाभा र्थयो को 1-अनुपूरक पोषाहार 2-स्वास्थ्य परीक्षण 3-संदर्भ सेवाए 4-प्रतिरक्षण टीकाकरन 5-पोषण एवम स्वास्थ्य शक्षा 6-स्कूल पूर्व शक्षा (प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवम शक्षा। समस्त पथौरागढ़ जनपद।

(अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+) ₹	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	00	00	363.25	340.03	506.65	402.04	00	127.83
2016-17	00	00	377.29	345.06	362.30	362.11	00	32.42
2017-18 10/2017 तक	00	00	378.58	303.54	347.00	292.14	00	129.90

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत (-)	वर्ष
2015-16		00	00	00	00	00
2016-17		00	00	00	00	00
2017-18 (10/2017)	टीएचआर	00	347.00	292.14	00	54.86

(ii) इकाई को बजट आवंटन (राज्य एवं केंद्र) द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई केंद्र से धनरा श प्राप्त करता है तथा सी श्रेणी (जिस श्रेणी के अन्तर्गत इकाई आती है, उसे इं गत कया जाय) की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव **2.** निदेशक **3.** डी0पी0ओ **4.** सी0डी0पी0ओ

(संगठनात्मक ढांचा स चव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रद र्शत कया जाय)

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में बाल वकास परियोजना अ धकारी**,** हल्द्वानी (ग्रामीण**)** को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन बाल वकास परियोजना अ धकारी**,** हल्द्वानी (ग्रामीण**)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/2016** एवं **12/2017** को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। नन्दा देवी योजना**,** वृद्ध महिला पोषण**,** टीएचआर/कूक्ड फ़ूड**,** का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन लागत एवं व्यय रा श तथा कार्य की वास्त वक स्थिति को ध्यान में रखकर चयन कया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग -दो 'ब'</u>

प्रस्तर **1:-** ब्याज प्राप्ति **₹ 4,41,048/-** की धनरा श राजकोष में जमा न कया जाना।

उत्तराखंड शासन के वत्त वभाग के शासनादेश संख्या: U.O. 18/XXVII(6)-टी. सी. ए. 934-2014, दिनाँक 21.04.2017 तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल वकास अनुभाग के आदेश संख्या: 610/XVII(4)/2017-2(8)2017, दिनांक 26.04.2017 के अनुसार "प्रशासनिक वभागों द्वारा परियोजनाओं हेतु धनरा श बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित कया जाता है और उक्त ब्याज की धनरा श राजकोष में जमा न करते हुए वभागों द्वारा प्रयोग में लया जा रहा है। यह एक घोर वत्तीय अनियम मतता है तथा निर्दे शत कया गया है क जितने भी बैंक खाते है उनमें अर्जित ब्याज की पुष्टि करते हुए तत्काल उक्त धनरा श राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराया जाय।"

इसके अतिरिक्त उत्तराखंड शासन शासनादेश संख्या: 99/XXVII(14)/2009 दिनाँक 03.09.2009 द्वारा भी निर्दे शत कया गया था क यदि कसी व शष्ट कारणों के कारण समे कत नि ध से आहरित धनरा श का उपयोग न कया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो तब इस प्रकार अर्जित धनरा श राजकोष में लेखाशीर्षक -0049-ब्याज प्राप्तियाँ, 04 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियाँ, 800 अन्य प्राप्तियाँ, 12-अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा कया जाय।

बाल वकास परियोजना अ धकारी, हल्द्वानी (ग्रामीण) के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क इकाई द्वारा पदनाम बैंक खाते (खाता संख्या: 27730100008539) में कुल ₹ 5,64,701/- का ब्याज अर्जित कया गया था जिसमें से ₹ 1,23,653/- की धनरा श का ब्याज इकाई द्वारा चालान संख्या 125 दिनांक 26.08.2015 द्वारा शासकीय खाते/राजकोष में जमा कया जा चुका था तथा अवशेष धनरा श ₹ 4,41,048/- लेखापरीक्षा ति थ (जनवरी 2018) तक बैंक खाते में ही पड़ी थी। उक्त शासनादेशों के अनुपालन में प्राप्त ब्याज की सम्पूर्ण धनरा श राजकोष में जमा कया जाना अपे क्षत था परंतु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा ति थ (जनवरी 2018) तक उक्त अवशेष ब्याज की धनरा श को राजकोष में जमा न कर कार्यालय प्रयोग में लया जा रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त धनरा श राजकोष में जमा नहीं की गई जिसको शीघ्र ही सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कया जाएगा।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आप त की पुष्टि करता है। अतः ₹ 4,41,048/- की ब्याज की धनरा श राजकोष में जमा न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग -दो 'ब'</u>

प्रस्तर **2:-** वभागीय उदासीनता के कारण नन्दा देवी कन्या योजना के अंतर्गत **2511** लाभा र्थयो को योजना के लाभ से वं चत रखे जाने के परिणामस्वरूप **₹ 15000/-** प्रति की दर से **₹ 376.65** लाख का लम्बित दायित्व रखा जाना ।

राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवा सयों, जिनके परिवार मे 01 जनवरी 2009 के बाद दो जी वत बा लकाओ ने जन्म लया हो तथा वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त की समस्त शर्ते पूरी करते हो, को दिया जाना है। योजना के अंतर्गत आ र्थक सहायता के रूप मे ₹ 15000/-की धनरा श तीन कस्तों मे प्रदान की जायेगी ।

बाल वकास परियोजना अ धकारी हल्द्वानी (ग्रामीण) के अ भलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया क वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के अंतर्गत योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल 3292 आवेदको द्वारा आवेदन कया गया। वर्ष 2017 के अंतर्गत कुल 781 आवेदको को योजना का लाभ प्रदान कया गया जब क 2511 आवेदन पत्र परियोजना स्तर पर ही लंबित रखे गए थे जिन्हे अ ग्रम कार्यवाही हेतु जिला कार्यक्रम अ धकारी नैनीताल को प्रे षत नहीं कया गया था। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार बाल वकास परियोजना अ धकारी द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रो की गहनता पूर्वक जांच करते हुए 15 दिनो मे जनपद स्तरीय स मति के सम्मुख स्वीकृति हेतु जिला कार्यक्रम अ धकारी को प्रस्तुत कया जाना था जब क उक्त दिशा निर्देशों की अनदेखी की गयी। इस प्रकार 2511 पात्र आवेदक योजना के लाभ से वं चत थे जिनको लाभान्वित करने हेतु रु 376.65 लाख की धनरा श की आवश्यकता थी। इस प्रकार इकाई पर ₹ 376.65 लाख की धनरा श के भुगतान करने का लंबित दायित्व था ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया क जिला स्तर पर बजट उपलब्ध न होने के कारण इनको स्वीकृति हेतु नहीं भेजा गया, इनको शीघ्र ही स्वीकृति हेतु जिला कार्यक्रम अ धकारी कार्यालय भेजा जाएगा तथा आवेदन पत्रों के स्वीकृत होने के बाद निदेशालय से बजट की मांग की जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यो क योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार 15 दिनो के अंदर समस्त आवेदन पत्र जनपद स्तरीय स मति के सम्मुख स्वीकृति हेतु जिला कार्यक्रम अ धकारी को प्रस्तुत कया जाना था जब क उक्त दिशानिर्देशों की अनदेखी कर इनको परियोजना स्तर पर लंबित रखा गया। अतः वभागीय उदासीनता के कारण 2511 लाभार्थी योजना के लाभ से वं चत थे जिनको ₹ 15000/- प्रति की दर से ₹ 376.65 लाख का भुगतान कया जाना लंबित था। अतः इकाई पर ₹ 376,65,000/- की धनरा श का भुगतान कये जाने का लंबित दायित्व रहने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग -दो 'ब'</u>

प्रस्तर **3:- 2015-16** में **₹ 389.69** लाख तथा वर्ष **2016-17** में **₹ 348.11** लाख की धनरा श के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त न कया जाना।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक: 460/XVII(4)/2016-129/06TC, दिनाँक 10.02.2016 तथा आई. सी. डी. एस. निदेशालय देहरादून के पत्रांक: C-29/रिपोर्ट/14/2017-18, दिनाँक 05.04.2017 द्वारा मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने हेतु निर्दे शत कया गया था।

मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के क्रयान्वयन हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों की माता स मतियों को हस्तांतरित धनरा श के व्यय होने के पश्चात संबन्धित मुख्य से वका द्वारा उसका उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में बाल वकास परियोजना अ धकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए तथा प्रस्तुत उपभोग प्रमाण पत्र के आंकड़ों को संक लत करते हुए बाल वकास परियोजना अ धकारी कार्यालय से जिला कार्यक्रम अ धकारी कार्यालय को प्रे षत कया जाना चाहिए।

बाल वकास परियोजना अ धकारी, हल्द्वानी (ग्रामीण) के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के क्रयान्वयन हेतु इकाई को वर्ष 2015-16 में ₹ 65.90 लाख, तथा वर्ष 2016-17 में ₹ 18.30 लाख, की धनरा श आवंटित हुई थी जिसके सापेक्ष ₹ 18.11 इकाई द्वारा व भन्न चैकों के माध्यम से अधीनस्थ आंगनवाड़ी माता स मतियों के बैंक खातों में हस्तांतरित कया गया था। हस्तांतरित धनरा श के उपभोग प्रमाणपत्र अधीनस्थ आंगनवाड़ी माता स मतियों के संबन्धित सुपरवाइजर से प्राप्त कर बाल वकास परियोजना अ धकारी कार्यालय के माध्यम से जिला कार्यक्रम अ धकारी कार्यालय में प्राप्त कए जाने अपे क्षत थे परंतु इकाई द्वारा उक्त धनरा शयों के उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के कोई साक्ष्य अ भलेखों में नहीं पाये गए, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका क अधीनस्थ आंगनवाड़ी माता स मतियों द्वारा उक्त धनरा श का उसी मद में व्यय कया गया है जिस मद हेतु धनरा श आवंटित की गई थी तथा जारी धनरा श का पूर्ण उपभोग कया जा चुका है अथवा नहीं।

इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा अनुपूरक पोषाहार (THR/Cooked food) के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में ₹ 425.00 लाख की धनरा श आवंटित हुई थी जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा 323.79 लाख का व्यय कया गया था अवशेष धनरा श सम र्पत की गई थी तथा वर्ष 2016-17 मे ₹ 330.00 लाख की धनरा श आवंटित हुई थी जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा ₹ 330.00 लाख का व्यय कया गया। व्यय की गई धनरा श ₹ 653.79 लाख के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कए जाने अपे क्षत थे परंतु इकाई द्वारा उपभोग प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा ति थ तक प्राप्त नहीं कए गए थे, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका क अधीनस्थ आंगनवाड़ी माता स मतियों द्वारा उक्त धनरा श का उसी मद में व्यय कया गया है जिस मद हेतु

धनरा श आवंटित की गई थी तथा जारी धनरा श का पूर्ण उपभोग कया जा चुका है अथवा नहीं।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क संबन्धित सुपरवाइजरों को आंगनवाड़ी के माध्यम से उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के निर्देश जारी कए जा रहे हैं।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आप त क पुष्टि करता है। अतः वर्ष 2015-16 में कुल ₹ 389.69 लाख तथा, वर्ष 2016-17 में कुल ₹ 348.11 लाख की धनरा श के उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II ‘अ’	भाग-II ‘ब’	स्टैन
यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।			

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु बाल वकास परियोजना अ धकारी, हल्द्वानी (ग्रामीण) उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

   (i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्र0 सं**0**	नाम	पदनाम	अव ध
1.	श्रीमति चम्पा कोठारी	सी0डी0पी0ओ0	8/2014 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति बाल वकास परियोजना अ धकारी, हल्द्वानी (ग्रामीण) को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक खंड) को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.